

E. आरक्षण के संबंध में निर्देश

1. आरक्षण प्रक्रिया 'मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994' के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्य प्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।
2. समस्त आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ई.डब्ल्यू.एस. अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग व दिव्यांगजन आवेदकों को देय छूट, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी, अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे।
3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा उन्हें कोई छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होगा।
4. मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. महिला आवेदक तथा दिव्यांगजन उम्मीदवार अपना वर्ग ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अनारक्षित लिखें।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई.डब्ल्यू.एस./अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का जाति प्रमाण-पत्र मध्य प्रदेश शासन के प्राधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी ई-सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
6. मध्य प्रदेश के निःशक्तजन अभ्यर्थियों को केवल जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक के स्थायी, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आरक्षण देय होगा।
7. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स./302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे। उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
8. दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन के प्रवर्ग में निःशक्तजन की चार श्रेणी में कुल हॉरिजॉन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा। मध्य प्रदेश राज पत्र क्रमांक 597, भोपाल दिनांक 21 नवम्बर 2022 में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा उच्च शिक्षा के सहायक प्राध्यापक पदों में दिव्यांगजन की चार श्रेणी में से कॉलम 09 में उल्लिखित (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग, डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और अन्य तीन श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा)। Library and Information Science एवं Physical Education विषय के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की आरक्षित तीन श्रेणी में से दृष्टिबाधित श्रेणी के उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उक्त राजपत्र के अनुसार मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने दृष्टिबाधित और कम दृष्टि की श्रेणी के लिए ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पद आरक्षित नहीं किए हैं।
9. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मान्य होना चाहिए।
10. प्रत्येक श्रेणी में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला प्रवर्ग हेतु हॉरिजॉन्टली 35 प्रतिशत आरक्षण होगा।
11. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/पात्रता परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। जिसका जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा।

F. परीक्षा योजना

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
2. परीक्षा सत्र की अवधि बिना अन्तराल के 03 घंटे की होगी।
3. राज्य पात्रता परीक्षा में कुल दो प्रश्न-पत्र होंगे—

प्रथम प्रश्न-पत्र (अनिवार्य)— सामान्य प्रश्न-पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 (पचास) होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा।
द्वितीय प्रश्न-पत्र (ऐच्छिक)— यह प्रश्न पत्र चयनित विषय का होगा। इसमें कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	परीक्षा अवधि
प्रथम (अनिवार्य)	50 प्रश्न, सभी अनिवार्य	100	03 घंटे (180 मिनट)
द्वितीय (वैकल्पिक)	100 प्रश्न, सभी अनिवार्य	200	

G. प्रश्न पत्र का माध्यम

1. प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा।
2. भाषा विषय का प्रश्न-पत्र संबंधित भाषा में होगा।
3. प्रश्न-पत्र में संरचना व अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिन्दी में लिखे प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी।

H. अंकन योजना

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए 02 (दो) अंक होंगे।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 02 (दो) अंक प्राप्त होंगे।
3. ऋणात्मक मूल्यांकन (No Negative Marks) नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना है।
5. किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
6. एकाधिक उत्तर वाले प्रश्नों की स्थिति में उन अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने किसी भी सही उत्तर को चयन किया है।
7. अगर किसी प्रश्न को विलोपित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को दो अंक (02) प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें।
8. अर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सभी वर्गों/वर्गों की श्रेणीवार गुणानुक्रम सूची में अंतिम अर्ह अभ्यर्थी के प्राप्तांक (Cut off) के समान अंक पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भी अर्ह सूची में शामिल किया जाएगा।

I. परीक्षा के विषय, सह-विषय एवं कोड

यू.जी.सी. नेट व सी.एस.आई.आर. नेट के विषयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्र. 1093/104/सी.सी./22/38, दिनांक 23.12.2022, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 07.03.2024, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 27.11.2024 एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 1-2/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 26.09.2025 के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा के विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची अनुमोदित हैं—

स.क्र.	प्रश्न पत्र	विषय कोड
	(अनिवार्य प्रथम प्रश्न-पत्र)	General Paper on Teaching & Research Aptitude सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति
	(ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न-पत्र)	स्नातकोत्तर स्तर के विषय
01	Chemical Sciences (रसायन विज्ञान)	Chemistry (रसायन शास्त्र) Organic Chemistry (कार्बनिक रसायन शास्त्र) Physical Chemistry (भौतिक रसायन शास्त्र) Applied Chemistry (व्यावहारिक रसायन शास्त्र)

		Environmental Chemistry (पर्यावरण रसायन शास्त्र) Pharmaceutical Chemistry (फार्मास्युटिकल रसायन शास्त्र) Inorganic Chemistry (अकार्बनिक रसायन शास्त्र) Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन शास्त्र) Analytical Chemistry (विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र)	
02	Commerce (वाणिज्य)	Commerce (वाणिज्य)	02
03	Computer Science & Applications (संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग)	Computer Science (संगणक विज्ञान)	03
04	Criminology (अपराध विज्ञान)	Criminology (अपराध विज्ञान)	04
05	Defence and Strategic Studies (रक्षा और र्नातेजिक अध्ययन)	Millitary Science (सैन्य विज्ञान)	05
06	Economics (अर्थशास्त्र)	Economics (अर्थशास्त्र) Master of Business Economics (एम.बी.ई.) Applied Economics (व्यावहारिक अर्थशास्त्र) MBA Business Economics (एम.बी.ए. व्यावसायिक अर्थशास्त्र)	06
07	English (अंग्रेजी)	English (अंग्रेजी)	07
08	Earth, Atmospheric, Ocean and Planetary Science (पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान)	Geology (भूगर्भ शास्त्र) Applied Geology (व्यावहारिक भूगर्भ शास्त्र) Planetary (प्लेनेटरी) Geophysics (जियोफिजिक्स) Earth Science (भू-विज्ञान) Remote Sensing (रिमोट सेंसिंग)	08
09	Geography (भूगोल)	Geography (भूगोल)	09
10	Hindi (हिन्दी)	Hindi (हिन्दी) Linguistics (भाषा विज्ञान)	10
11	History (इतिहास)	History (इतिहास) Modern History (आधुनिक इतिहास) Medeval History (मध्यकालीन इतिहास) Ancient History (प्राचीन इतिहास)	11
12	Home Science (गृह विज्ञान)	Home Science (गृह विज्ञान)	12
13	Law (विधि)	Law (विधि)	13
14	Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	Library Science (पुस्तकालय विज्ञान) Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	14
15	Life Science (जीव विज्ञान)	Botany (वनस्पति शास्त्र) Zoology (प्राणी शास्त्र) Bio Chemistry (जैव रसायन) Micro Biology (सूक्ष्म जीव विज्ञान) Biotechnology (जैवप्रौद्योगिकी) Bio Science (जैव विज्ञान) Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान) Bioinformatic Science (बायो इंफरमेटिक्स साइंस) Fisheries (मत्स्य विज्ञान) Aquaculture (मत्स्य पालन) Limnology (सरोविज्ञान) Entomology (कीट विज्ञान)	15

		Genetics (आनुवांशिकी) Genetic Engineering (आनुवांशिकी यांत्रिकी) Life Science (जीव विज्ञान) Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान) Seed Technology (बीज तकनीकी)	
16	Management (प्रबंधन)	Management (प्रबंधन) (including Business Admn. Mgt./Marketing/ Marketing Mgt./Industrial Relations and Personnel Mgt./ Personnel Mgt./Financial Mgt./Co- operative Management.	16
17	Marathi (मराठी)	Marathi (मराठी)	17
18	Mathematical Sciences (गणितीय विज्ञान)	Mathematics (गणित) Computational Mathematics (संगणन गणित) Applied Mathematics (व्यावहारिक गणित) Industrial Mathematics (औद्योगिक गणित) Mathematical Science(गणितीय विज्ञान)	18
19	Music (संगीत)	Music (संगीत) Music Instrument (संगीत वादन) Music Vocal (संगीत गायन)	19
20	Performing Arts (कलामंच)	Dance (नृत्य)	20
21	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	21
22	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	22
23	Physical Science (भौतिक विज्ञान)	Physics (भौतिक) Applied Physics (व्यावहारिक भौतिकी) Material Science (पदार्थ विज्ञान) Electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स)	23
24	Political Science (राजनीति विज्ञान)	Political Science (राजनीति विज्ञान) Public Administration (लोक प्रशासन) International Relation (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	24
25	Psychology (मनोविज्ञान)	Psychology (मनोविज्ञान) Clinical Psychology (चिकित्सकीय मनोविज्ञान) Applied Psychology (व्यावहारिक मनोविज्ञान)	25
26	Sanskrit (संस्कृत)	Sanskrit (संस्कृत)	26
27	Sanskrit Traditional Subjects (संस्कृत परंपरागत विषय)	Sanskrit Astrology (संस्कृत ज्योतिष) Sanskrit Oriental (संस्कृत प्राच्य) Sanskrit Literature (संस्कृत साहित्य) Sanskrit Grammer (संस्कृत व्याकरण) Sanskrit Literature Oriental (संस्कृत साहित्य प्राच्य) (धर्मशास्त्र)	27
28	Sociology (समाज शास्त्र)	Sociology (समाज शास्त्र) Anthropology (मानव शास्त्र) Social Work (सामाजिक कार्य)	28
29	Urdu (उर्दू)	Urdu (उर्दू)	29
30	Visual Arts (विजुअल आर्ट्स)	Drawing and Painting (चित्रकला)	30
31	Yoga (योग)	Yoga (योग)	31

J. मान्य स्नातकोत्तर उपाधियों की सूची

1. Master of Commerce (M.com.)	6. Master of Science (M.Sc.)	11. Master of Physical Education (M.P.Ed.)
2. Master of Library Science (M.Lib.sc.)	7. Master of Statistics (M.Stat.)	
3. Master of Literature (M.Litt.)	8. Master of Arts (M.A.)	12. Master of Physical Education & Sports Science (MPES)
4. Master of Computer Application (M.C.A.)	9. Acharya (Sanskrit Traditional)	
5. Integrated BS-MS	10. Master of Law (LLM)	

K. परीक्षा के प्रस्तावित कोड एवं शहर

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
1	इन्दौर	4	जबलपुर	7	सागर	10	शहडोल
2	भोपाल	5	रीवा	8	उज्जैन	11	खरगोन
3	ग्वालियर	6	सतना	9	नर्मदापुरम	12	रतलाम

L. शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक परीक्षा शहर सावधानीपूर्व चुने। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों/केन्द्रों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।
- आवेदक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम चार शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाए।
- आयोग के प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आवंटित कर सकता है तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता है या परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- आयोग द्वारा आवंटित केन्द्र/शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा आवंटित केन्द्र का एक दिन पूर्व अवलोकन करना उचित होगा।
- मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संचालन की सुविधा अनुसार केन्द्र का आवंटन अंतिम रूप से आयोग द्वारा निर्धारित होंगे। परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गए विकल्प शहर के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नंबर प्रदाय किए जाएंगे।

M. पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश

- प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतया वस्तुनिष्ठ (Objective Type Question) प्रकार का होगा। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न-सुमेलित, सत्य/असत्य, कथन-कारण का प्रकार के (Multiple Choice Question : Matching, True/False, Assertion Reasoning Type) होंगे।
- Erath, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences, Chemical Sciences, Life Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, विषय के परीक्षा प्रारूप भी यूजी.सी. नेट परीक्षा प्रारूप के अनुसार रहेगा। सी.एस.आई.आर. के निर्देशानुसार Mathematical Sciences के पाठ्यक्रम में 4 इकाई है जो गणित एवं सांख्यिकी विषय के अभ्यर्थी के लिए इकाई अनुसार विभाजित है। इकाई प्रथम गणित और सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है और इकाई द्वितीय व तृतीय गणित विषय तथा इकाई चतुर्थ सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए रहेगी।
- विषयों के पाठ्यक्रम यूजी.सी. व सी.एस.आई.आर. नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार है।
- पाठ्यक्रम संबंधी समस्त निर्देश आवेदकों को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे।

42

N: यूजीसी एवं सी:एसआईआर नेट के निर्देशानुसार पाठ्यक्रम

S.N.	Name of Subject	Syllabus in Available Languages	
		English	Hindi
00	प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) General Paper on Teaching & Research Aptitude	English	Hindi
	द्वितीय प्रश्न पत्र (ऐच्छिक)		
1	Chemical Sciences	English	
2	Commerce	English	Hindi
3	Computer Science & Applications	English	
4	Criminology	English	Hindi
5	Defence and (strategic) studies	English	Hindi
6	Economics	English	Hindi
7	English	English	
8	Erath, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences	English	
9	Geography	English	Hindi
10	Hindi		Hindi
11	History	English	Hindi
12	Home science	English	Hindi
13	Law	English	Hindi
14	Library and Information Science	English	Hindi
15	Life Sciences	English	
16	Management	English	Hindi
17	Marathi	Marathi	
18	Mathematical Sciences	English	
19	Music	English	Hindi
20	Performing Arts (Dance, Drama, Theatre)	English	Hindi
21	Philosophy	English	Hindi
22	Physical Education	English	Hindi
23	Physical Sciences	English	
24	Political science	English	Hindi
25	Psychology	English	Hindi
26	Sanskrit	Sanskrit	
27	Sanskrit Traditional Subjects	Sanskrit	

28	Sociology	English	Hindi
29	Urdu	Urdu	
30	Visual Arts	English	Hindi
31	Yoga	English	Hindi

उक्त विषय के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in तथा यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर. की वेबसाइट <https://www.ugcnetonline.in/syllabus-new.php> एवं <https://csirhrdg.res.in/Home/Index/1/Default/2666/78> पर उपलब्ध हैं।

O. परीक्षा परिणाम की घोषणा

1. परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम के अनुसार (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87 प्रतिशत का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, शेष 13 प्रतिशत स्लॉट को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रकरण के अंतिम न्यायालयीन निर्णय पश्चात् घोषित किया जाएगा।
2. परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप में निर्धारित की जाएगी—

प्रथम चरण— सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप में निर्धारित की जाएगी।

द्वितीय चरण— द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 06 प्रतिशत के प्राप्त कुल अर्ह संख्या (स्लॉट) को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार (मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अर्ह संख्या (स्लॉट) आवंटित कर दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणियों हेतु आरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में महिला प्रवर्ग हेतु हॉरिजॉन्टली 35 प्रतिशत आरक्षण होगा। दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन के प्रवर्ग में दिव्यांगजन की श्रेणी अनुसार में कुल हॉरिजॉन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा।

तृतीय चरण— प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्हता संख्या (स्लॉट) ज्ञात की जाएगी—

क्र.	श्रेणी	(प्रथम एवं द्वितीय) दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं ई.डब्ल्यू.एस.	40%
2.	आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन	35%

चतुर्थ चरण— विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाएगा—

विषय के उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है

_____ X उस श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हता संख्या (स्लॉट)

उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या

(a) यदि अर्हता संख्या (स्लॉट) निर्धारण में प्रतिशत दशमलव में प्राप्त होता है तो —